काउंसिलिंग एमबीबीएस/बीडीएस पाठ्यक्रम 2017 प्रवेश हेतु महत्वपूर्ण सूचना

1. सत्र 2017 में माननीय सुप्रीम कोर्ट एवं केन्द्र शासन के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य शासन को राज्य के शासकीय चिकित्सा एवं शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय के साथ ही, निजी चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालय की शासकीय नियतांश के साथ प्रबंधन कोटे की सीट एवं एन.आर.आई.कोटे की सीट का भी आबंटन शासन द्वारा निर्धारित काउंसिलिंग समिति द्वारा किया जाना है।

   उपरोक्त के कारण जब आप ऑनलाईन फार्म भरेंगे तो सीटों के प्रकार में –

   1) State Quota
   2) Manegment Quota
   3) State Quota and Manegment Quota
   4) NRI Quota
   5) Manegment and NRI Quota

   प्रदर्शित किये जायेंगे। जिसमें सीट प्रकार क्रमांक 1, 2, 3 हेतु छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अन्य वांछित योग्यताओं को पूर्ण करने पर पात्र होंगे।

   सीट प्रकार क्रमांक 2 हेतु बाहर राज्य के अभ्यर्थी अन्य वांछित योग्यताओं को पूर्ण करने पर पात्र होंगे।

   सीट प्रकार क्रमांक 4 हेतु बाहर राज्य/छत्तीसगढ़ राज्य के अभ्यर्थी अन्य वांछित योग्यताओं को पूर्ण करने पर तथा एन.आर.आई. संबंधित योग्यता पूर्ण करने पर पात्र होंगे।

2. ईमेल दिया जाना ऐच्छिक है किन्तु यदि आपके द्वारा ईमेल दिया जाता है तो उस पर सूचना प्रेषित की जाती है ।
3. Application Form Login भरे जाने वाले मोबाइल नम्बर को अपने साथ रखे ताकि उस पर भेजे जाने वाले पासवर्ड उपयोग कर आनलाईन आवेदन की आगामी कार्यवाही की जा सके। मोबाईल पर आने वाले पासवर्ड को आप परिवर्तित (Change) कर सकते है ।
4. आवेदन में दी गई जानकारी आवेदन पूर्ण हो जाने के बाद (save and finish हो जाने के बाद) परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा ।
5. अन्य सभी नियमानुसार वांछित प्रवेश योग्यता जैसे छ.ग. मूलनिवासी, आरक्षित श्रेणी, प्रमाण पत्र इत्यादि आबंटन उपरांत संवीक्षा में प्रस्तुत किया जाना होगा संवीक्षा में पात्र होने पर ही प्रवेश ले सकेगें। (मूल प्रमाण पत्र ही संवीक्षा में मान्य होंगे)

11/7/17

6. आरक्षित श्रेणी में आवेदन हेतु आवश्यक स्थायी जाति प्रमाण पत्र होने पर ही उक्त श्रेणी में आवेदन करे ।

7. संवर्ग (Class) में केवल क्षैतिज आरक्षण श्रेणीवार संवर्ग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी/सैनीक/निःशक्तजन (FF/SS/PH) को उपल्बध रहता है किन्तु उक्त संवर्ग में अपात्र होने पर आप प्राविण्य सूची से बाहर हो जाते हैं तथा किसी भी प्रकार की सीट आबंटन हेतु अपात्र हो जाते है । अतः अपने दस्तावेज एवं नियम का सूक्ष्मता से निरीक्षण कर ही इस संवर्ग में आवेदन करें ।

8. महिला क्षैतिज आरक्षण केवल SEX से चयनित किया जायेगा ।

9. ऑनलाइन आवेदन में किसी प्रकार के दस्तावेज को अपलोड नहीं किया जाना हैं। अतः आबंटन उपरांत सभी अभ्यर्थी को मूल दस्तावेजो की संवीक्षा हेतु संबंधित संस्थान में उपस्थित होना होगा एवं संवीक्षा में पात्र होने पर प्रवेश के पात्र होगें ।

10. संवीक्षा में मूल दस्तावेज ही स्वीकार होते है

11. आपके ऑनलाइन आवेदन में कोई त्रुटि हो गई हैं तो अंतिम तिथि के पूर्व पुनः नया आवेदन शुल्क रूपये एक हजार (रू.1000/—) (सभी श्रेणी हेतु) सहित कर सकेगे तथा पूर्व आवेदन स्वतः निरस्त हो जाएगा।

12. नियमों हेतु वेबसाईट www.cgdme.co.in पर अपलोडेड नियम पुस्तिका, एन.आर.आई. के नियम आदि का अवलोकन करें।

——

अनुमोदित

11/7/17